पंचायती राज विभाग,निदेशालय देहरादून में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के क्रम में स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 30.5.2018 का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–

1–निदेशक,पंचायतीराज–अध्यक्ष।
2–संयुक्त निदेशक,पंचायतीराज–सदस्य।
3–संयुक्त निदेशक, जि0पं0अनुश्रवण कोष्ठक,पंचायतीराज–सदस्य।
4–अधीक्षण अभियन्ता यू0आई0आर0डी0ए0–सदस्य(मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित)

उत्तराखण्ड शासन,विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–12 / XXXVI(3) / 2018 / 20(1) / 2017,दिनांक 5 जनवरी,2018 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक,2017', शासनादेश संख्या–140 / 25.5.2018 के द्वारा उत्तराखण्ड, लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण,जिसमें अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक सीमित रखी गई है,के क्रम में स्थानान्तरण समिति द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी संवर्ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मुख्यालय में उपलब्ध इस संवर्ग के कार्यरत अधिकारियों के सेवाविवरण संबंधी सूचना के आधार पर निम्नलिखित रूप में विचार किया गया :–

समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–06 जिसमें वार्षिक स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार उल्लिखित है, के आधार पर विचार किया गया।

(क)– सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण,
(ख)– दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण,
(ग)– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण,

1–दुर्गम में वर्तमान / संभावित रिक्तियॉ– 03 (पौड़ी गढवाल, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़)
2–सुगम में वर्तमान में कोई रिक्तियॉ नही है / संभावित रिक्तियॉ जो हो सकती है– 03 (अल्मोड़ा,ऊधमसिंहनगर एवं हरिद्वार)

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण अधिनियम के सुसंगत प्राविधान / धाराओं का संज्ञान लेते हुए समिति के द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी संवर्ग में तैनात प्रत्येक अधिकारियों के संबंध में निम्नवत विचारण करते हुए अपना मंतब्य व्यक्त किया गयाः–

सर्वप्रथम स्थानान्तरण अधिनियम की धारा– 18 (2): पदोन्नति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती धारा–7 के खण्ड (घ)प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी। वर्तमान में मुख्यालय से दो कार्मिकों के पदोन्नति प्रस्ताव शासन के माध्यम से लोक सेवा आयोग,हरिद्वार को प्रेषित किए जाने की कार्रवाई की गई है। अधिनियम की धारा–18(2) के प्राविधानों के तहत पदोन्नति प्राप्त कार्मिक की प्रथम तैनाती दुर्गम क्षेत्र में की जानी अनिवार्य है।अतः जनपद उत्तरकाशी एंव जनपद पौड़ी गढवाल जहॉ रिक्तियॉ विद्यमान है,वहॉ इनकी तैनाती लोक सेवा आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के उपरांत की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा जिला पचांयत राज अधिकारी पद पर तैनात अधिकारियों का राज्य गठन अर्थात 9.11.2000 से वर्तमान पद एवं पूर्वगामी पद के सापेक्ष सेवाकाल इत्यादि के संदर्भ में विचार करते हुए निम्नानुसार मंतब्य दिया गयाः–

सुगम जनपद में तैनात अधिकारियों पर विचारणः–

(1)– श्री विद्यासिंह सोमनाल, जिला पंचायत राज अधिकारी, ऊधमसिंहनगर (सुगम क्षेत्र),गृह जनपद उत्तरकाशी ,जन्म तिथि 9.5.72, जनपद ऊधमसिंहनगर में वर्तमान तैनाती की तिथि –24.9.2016 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 तक जनपद में सेवावधि 01 वर्ष, 08 माह, 11 दिन(सुगम क्षेत्र), मूल पद सहायक विकास अधिकारी (पं0) पद के रूप में सुगम क्षेत्र की सेवावधि –10 वर्ष, 13 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि –07 वर्ष 10 माह, 11 दिन की है। जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष सुगम क्षेत्र की कुल सेवावधि –01 वर्ष, 11 माह, 29 दिन एवं दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि –शून्य है। जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर वर्तमान तैनाती जनपद में 04 वर्ष की अवधि पूर्ण नही कर रहे है तथा अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम में आने के लिए कोई भी कार्मिक अर्ह नही है।

नीति आयोग द्वारा विभिन्न मानकों के अन्तर्गत पिछड़ेपन के आधार पर अभिलाषी जनपद के रूप में जनपद ऊधमसिंहनगर चयनित है, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में मूलभूत एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट क्नैक्टविटी तथा सर्विस सैन्टर की स्थापना तथा ग्रामीण संयोजन इत्यादि कार्य विभागीय प्राथमिकताओं में आते है। उपरोक्त आधार पर जनपद ऊधमसिंहनगर को वर्तमान में रिक्त नही रखा जा सकता है। अतः संबंधित कार्मिक के अनिवार्य स्थानान्तरण की संस्तुति नही की गई।

(2)– श्री जितेन्द्र कुमार, जिला पचांयत राज अधिकारी (सीधी भर्ती), जनपद अल्मोड़ा(सुगम क्षेत्र), गृह जनपद देहरादून, जन्म तिथि–10.3.76 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 तक जनपद अल्मोड़ा में जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष वर्तमान सुगम क्षेत्र की सेवावधि–02वर्ष, 09 माह, 24 दिन एवं कुल सुगम क्षेत्र की सेवावधि–11वर्ष, 09माह, 08 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि – 03 माह, 04 दिन की है। श्री जितेन्द्र कुमार का विगत वर्षो में मार्ग दुघर्टना में हिप बोन में फैक्चर के फलस्वरूप चिकित्सक के द्वारा वाहन से अधिक सफर एवं पर्वतीय क्षेत्र में पैदल कम चलने का परामर्श दिया गया है। तदानुसार समिति द्वारा श्री कुमार को राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये । उक्त के अतिरिक्त, अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम में आने के लिए कोई भी कार्मिक अर्ह नही पाए जाने के कारण समिति द्वारा संबंधित कार्मिक के अनिवार्य स्थानान्तरण की संस्तुति नही की गई।

(3)– श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, जिला पचांयत राज अधिकारी(सीधी भर्ती), जनपद हरिद्वार (सुगम क्षेत्र),गृह जनपद महाराजगंज,जन्म तिथि–15.4.76 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 तक जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष वर्तमान सुगम क्षेत्र की सेवावधि 01वर्ष, 08 माह, 09 दिन एवं कुल सुगम क्षेत्र की सेवावधि–11 वर्ष 07 माह,09 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि– 03 माह, 19 दिन रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर वर्तमान तैनाती जनपद

(2)

में 04 वर्ष की अवधि पूर्ण नही कर रहे है तथा अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम में आने के लिए कोई भी कार्मिक अर्ह नही है।

नीति आयोग द्वारा विभिन्न मानकों के अन्तर्गत पिछड़ेपन के आधार पर अभिलाषी जनपद के रूप में जनपद हरिद्वार चयनित है, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में मूलभूत एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना तथा पंचायतों में क्षमता विकास विभागीय प्राथमिकताएं है। जनपद हरिद्वार नोफन कार्यक्रम एंव नेशनल इन्फारमेंशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (एन0आई0आई0)के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट क्नैक्टविटी तथा सर्विस सैन्टर की स्थापना कर सेवाओं की अदायगी तथा ग्रामीण संयोजन इत्यादि कार्य विभागीय प्राथमिकताओं में आते है। उपरोक्त आधार पर जनपद हरिद्वार को वर्तमान में रिक्त नही रखा जा सकता है। इस प्रकार समिति द्वारा श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी का अनिवार्य स्थानान्तरण न करने की संस्तुति की गई।

(4)– श्री मनोज कुमार तिवारी, जिनका मूल संवर्ग जिला पंचायत राज अधिकरी है और निदेशालय में प्रभारी सहायक निदेशक के पद दिनांक 10.2.2015 से तैनात है तथा सुगम क्षेत्र में 3 वर्ष,3 माह , 21 दिन का कार्यकाल है। वर्तमान कार्यस्थल में 4 वर्ष की सेवावधि न होने तथा सुगम क्षेत्र में कुल 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नही हुई है। अतः अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नही आते है।

(5)– मो0 जफर खान, जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून(सुगम क्षेत्र), गृह जनपद पौड़ी गढवाल, जन्म तिथि–7.6.63 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 तक जनपद देहरादून में जिला पचांयत राज अधिकारी पद के सापेक्ष वर्तमान सुगम क्षेत्र की सेवावधि –01 वर्ष 08 माह, 09 दिन की है। मूल पद सहायक विकास अधिकारी (पं0) पद के रूप में सुगम क्षेत्र की सेवावधि –01 वर्ष, 08 माह, 26 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि –07 वर्ष, 09 माह, 10 दिन की है। जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष सुगम क्षेत्र की कुल सेवावधि –05 वर्ष, 09 माह, 27 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि – 02 वर्ष, 02 माह, 10 दिन है। मो0 जफर खान, जिला पंचायत राज अधिकारी,देहरादून की वर्तमान कार्यस्थल में 4 वर्ष की सेवावधि न होने तथा कुल सुगम सेवावधि 10 वर्ष से अधिक न होने के कारण तथा संबंधित अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत विकलांगता से अधिक विकलांगता के संदर्भ में प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नही आते है।

(6)– श्री अतुल प्रताप सिंह, जिला पचांयत राज अधिकारी(सीधी भर्ती), जनपद नैनीताल (सुगम क्षेत्र),गृह जनपद बस्ती,जन्म तिथि–30.6.73 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 वर्तमान सुगम क्षेत्र की सेवावधि 02 वर्ष, 09 माह, 28 दिन की सेवा के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नही आते है।

(7)– श्री रणवीर सिंह असवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी,टिहरी (सुगम क्षेत्र), गृह जनपद पौड़ी गढवाल, जन्म तिथि–25.5.72 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 तक जनपद टिहरी में जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष वर्तमान सुगम क्षेत्र की सेवावधि –09 माह, 11 दिन की है। इस प्रकार समिति द्वारा वर्तमान कार्यस्थल में 4 वर्ष की सेवावधि न होने तथा दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता में कोई अर्ह न होने के कारण इनके स्थानान्तरण पर विचार नही किया गया।

दुर्गम जनपद में तैनात अधिकारियों पर विचारणः–

(1)– श्री विद्यासागर, जिला पंचायत राज अधिकारी, रूद्रप्रयाग(दुर्गम क्षेत्र), गृह जनपद चम्पावत, जन्म तिथि–25.3.65 एवं दिनांक 31.5.2018 तक जिला पंचायत राज अधिकारी की सेवावधि –02 वर्ष, 08 माह, 21 दिन है। पूर्व पद ए0डी0ओ0पी0 के रूप में दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि –05 वर्ष 01 माह , 27 दिन है। वर्तमान में संबंधित की सेवाएं दुर्गम क्षेत्र में 3 वर्ष से कम है तथा कुल मिलाकर 10 वर्ष पूर्ण नही है। अतः अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नही आते है।

(2)–श्रीमती पूनम पाठक,जिला पचांयत राज अधिकारी, बागेश्वर(दुर्गम), (सीधी भर्ती), गृह जनपद अल्मोड़ा जन्म तिथि–5.1.78 एवं दिनांक 31.5.2018 तक जनपद बागेश्वर में जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष वर्तमान दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि 02वर्ष, 09 माह, 26 दिन एवं कुल सुगम क्षेत्र की सेवावधि–06 वर्ष, 10 माह,13 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि– 05 वर्ष, 11 माह, 07 दिन रही है। इस प्रकार श्रीमती पूनम पाठक की दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान स्थल में 3 वर्ष से कम है तथा कुल मिलाकर इनकी 10 वर्ष दुर्गम की सेवाएं पूर्ण नही है। अतः अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नही आती है।

(3)–श्री बिशन सिंह दुग्ताल, जिला पचांयत राज अधिकारी,चमोली (दुर्गम क्षेत्र),गृह जनपद पिथौरागढ, जन्म तिथि–11.11.1959, वर्तमान जनपद चमोली में तैनाती की तिथि 1.12.2016 है तथा दिनांक 31.5. 2018 तक सेवावधि–01 वर्ष, 06 माह। जिला पचांयत राज अधिकारी कार्यकाल के रूप में दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान स्थल में 3 वर्ष से कम है तथा कुल मिलाकर इनकी 10 वर्ष दुर्गम की सेवाएं पूर्ण नही है। अतः अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नही आते है।

(4)–श्री सुरेश प्रकाश बेनी, जिला पचांयत राज अधिकारी(सीधी भर्ती), जनपद चम्पावत (दुर्गम क्षेत्र),गृह जनपद पिथौरागढ़ ,जन्म तिथि–12.12.72 एवं दिनांक 31.5.2018 तक जनपद चम्पावत में जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष वर्तमान दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि 02 वर्ष, 08 माह, 00 दिन रही है। जिला पचांयत राज अधिकारी कार्यकाल के रूप में दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान स्थल में 3 वर्ष से कम है तथा कुल मिलाकर इनकी 10 वर्ष दुर्गम की सेवाएं पूर्ण नही है। अतः अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नही आते है।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा अपनी संस्तुति / मंतब्य सहित बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

30/05/18

(डी0पी0देवराड़ी) संयुक्त निदेशक	(आर0के0एन0 त्रिपाठी) संयुक्त निदेशक जि0पं0(अनु0 कोष्ठक)	(आर0पी0सिंह) अधीक्षण अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0,

30/05/2018

(एच0सी0सेमवाल)
निदेशक